रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-05072022-237074
SG-DL-E-05072022-237074

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 355]	दिल्ली, सोमवार, जुलाई 4, 2022/आषाढ़ 13, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 175
No. 355]	DELHI, MONDAY, JULY 4, 2022/ASHADHA 13, 1944	[N. C. T. D. No. 175

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली, विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 4 जुलाई, 2022

फा. सं. 21/18/LOOP/2022/LAS-VII/Leg./9752.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

2022 का विधेयक संख्या 11

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में नेता–प्रतिपक्ष के (वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2022

(जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 04 जुलाई, 2022 को पुरःस्थापित किया गया)

आदेश से,

राज कुमार, सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में नेता–प्रतिपक्ष के (वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2022

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में नेता–प्रतिपक्ष के (वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 2001 में पुनः संशोधन करने के लिए

एक

विधेयक

भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा द्वारा यह निम्न रूप से अधिनियमित किया जाएः–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.**–(1) इस अधिनियम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में नेता–प्रतिपक्ष के (वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जाए।

(2) यह उप–राज्यपाल द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यथानियत तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. **धारा 3 का संशोधन.**–राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में नेता–प्रतिपक्ष के (वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 2001 (2002 का दिल्ली अधिनियम 6) (इसके पश्चात ''मूल अधिनियम'' के रूप में संदर्भित) की धारा 3 के लिए निम्नलिखित धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्–

''(3) नेता–प्रतिपक्ष ऐसे वेतन, भत्ते तथा अन्य पात्रताओं को प्राप्त करने के पात्र होंगे जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रियों को (वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत किसी मंत्री को ग्राह्य है। ''

3. **धारा 4 तथा धारा 5 का लोप और धारा 6, धारा 7, धारा 8 एवं धारा 9 का पुनःक्रमांकन.**–मूल अधिनियम में धारा 4 तथा धारा 5 का लोप किया जाएगा और धारा 6, धारा 7, धारा 8 एवं धारा 9 का पुनःक्रमांकन क्रमशः धारा 4, धारा 5, धारा 6 तथा धारा 7 में किया जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

पिछले कुछ समय से विधायकों की ओर से मूल्य सूचकांक में वृद्धि को लेकर उनके वेतन और अनुलाभों/सुविधाओं में वृद्धि की मांग लगातार की जा रही है। यह भी अनुभव किया गया कि मंत्रियों/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/नेता–प्रतिपक्ष/मुख्य सचेतक के वेतन/अनुलाभ/सुविधाएं अपर्याप्त हैं जिन्हें एक समानुपातिक सीमा तक उन्नत तथा बढ़ाया जाना चाहिए।

इस प्रयोजनार्थ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में नेता–प्रतिपक्ष के (वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 2001 में संशोधन करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में नेता–प्रतिपक्ष (संशोधन) अधिनियम, 2022 को आरंभ किया गया है। इस विधेयक द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की विधानसभा में नेता–प्रतिपक्ष के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं को बढ़ाया जाना प्रस्तावित है, ताकि उन्हें प्रभावी ढंग से कार्य करने में सुविधा हो।

विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करता है।

कैलाश गहलोत, मंत्री (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

वित्तीय ज्ञापन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में नेता–प्रतिपक्ष के (वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) अधिनियम, 2022 में निहित प्रस्तावों के कार्यान्वयन हेतु अतिरिक्त वार्षिक आवर्ती व्यय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से किया जाएगा।

कैलाश गहलोत, मंत्री (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में नेता–प्रतिपक्ष के (वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) अधिनियम, 2022 किसी अधीनस्थ पदाधिकारियों पर विधायी शक्ति सौंपने की मांग नहीं करता है।

कैलाश गहलोत, मंत्री (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

राज कुमार, सचिव (विधान सभा)

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRTARIAT

NOTIFICATION

Delhi, the 4th July, 2022

F. No. 21/18/LOOP/2022/LAS-VII/Leg./9752.—The following is published for general information:—

Bill No. 11 of 2022

THE LEADER OF OPPOSITION IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (SALARIES AND ALLOWANCES) (AMENDMENT) BILL, 2022.

(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 04 July, 2022)

By Order,

RAJ KUMAR, Secy.

THE LEADER OF OPPOSITION IN THE LEGISLATIVEASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (SALARIES AND ALLOWANCES) (AMENDMENT) BILL, 2022.

A

BILL

Further to amend the Leader of Opposition in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) Act, 2001.

Be it enacted by the legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-second year of the Republic of India as follows:-

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Leader of Opposition in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) (Amendment) Act, 2022.

(2) It shall come into force on such date as the Lieutenant Governor may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Amendment of section 3. – In the Leader of Opposition in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) Act, 2001 (Delhi Act 6 of 2002) (hereinafter referred to as the principal Act), for section 3, the following section shall be substituted, namely:-

"(3) The Leader of Oppositionshall be entitled to receive a salary, allowances, and such other entitlements as are admissible to a Minister under the Ministers of the Government of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) Act, 1994.".

3. Omission of section 4 and section 5 and re-numbering of section 6, section 7, section 8 and section 9. – In the principal Act, section 4 and section 5 shall be omitted, and section 6, section 7, section 8 and section 9 shall be re-numbered as section 4, section 5 section 6and section 7, respectively.

STATEMENT OF OBJECTS & REASONS

For some time past, there has been persistent demand from the MLAs for the increase in their salaries and perks/ facilities having regard to the increase in the price index. It was also felt that the salaries/ perks/ facilities of Ministers/ Speaker/ Deputy Speaker/ Leader of Opposition/ Chief Whip are a bit inadequate which should be upgraded and enhanced to a commensurate extent.

For the purpose, the Leader of Opposition in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) (Amendment) Act, 2022, has been initiated to amend the Leader of Opposition in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) Act, 2001. This Bill proposes to increase the salaries, allowances & other facilities of the Leader of Opposition in the Legislative Assembly of the Government of National Capital Territory of Delhi, so as to facilitate him to work effectively.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

KAILASH GAHLOT, Minister (Law, Justice & Legislative Affairs)

FINANCIAL MEMORANDUM

For the implementation of the proposals contained in the Leader of Opposition in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) (Amendment) Act, 2022, there will be an additional annual recurring expenditure from the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi.

KAILASH GAHLOT, Minister (Law, Justice & Legislative Affairs)

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Leader of Opposition in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) (Amendment) Act, 2022, does not seek to confer power of legislation on any subordinate functionaries.

KAILASH GAHLOT, Minister (Law, Justice & Legislative Affairs)

RAJ KUMAR, Secy. (Legilation)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.07.05 16:41:45 +05'30'